



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सिहापूर कार्लेकर मुकाम दोसा
मोतीलाल बनाम चिरंजीलाल
 किसम मुकदमा शावा नं. 47/2020 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/2020	<p>वादी के अधिवक्ता श्री गोविंद लाल शर्मा, एड्व. द्वारा वाद पेश किया गया। वाद दर्ज होने पर किया जाकर प्रतिवादी ग्राह्य को नोटिस जारी हो। विवादित भूमि से संबंधित सामान्य प्रकृति के वाद में संगान स्वसरो पर के विवाद दर्ज होने के कारण एक वाद पूर्व से ही विचारधीन है। अतः इस प्रकार की सुनवाई भी एक विचारधीन प्रकृति के साथ किये जाने हेतु पत्रावली दिनांक 5-10-2020 को पेश हो। (7)</p>	
5/10/2020	<p>पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी गुण/डा. प्रदीप सि. 21 की ओर से श्री सिद्धांत शर्मा, एड्व. द्वारा प. न. की गई। वास्ते वकालतनामा व जवाब पेश करने हेतु पत्रावली दिनांक 12-10-2020 को पेश हो। (7)</p>	<p>अधिवक्ता श्री डा. उर्मिलानी की ओर से प. न. -  5/10/20 (सिद्धांत शर्मा)</p>
12/10/2020	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्नील वादी उपस्थित। पत्नील वादी द्वारा दावा विपदा करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली व प्रार्थना पत्र का भवलोहन किया गया। भवलोहन पर पत्रावली</p>	<p>पत्रावली की प्रार्थना पत्र  12/10/20 12/10/20 12/10/20</p>

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहमद
हुकम
में

ज्ञात होता है कि समान प्रकृति का वाद
इसी न्यायालय में याद सं. 45/20 में
चल रहा है। इसी कारण समान वाद को
पलाना, अलग - अलग दर्ज कर, न्यायालय
का वादी - प्रतिवादी हेतु दितकर नहीं।
अतः शर्तना पत्र दावा विभूता को
स्वीकार किया जाना है। प्रकरण फेसल
शुमार होकर नम्बर से कम है। तथा
बाद तकमील प्रविष्ट लेख अण्डार है।

मीर
12/10/2020
सहायक कलेक्टर
दौसा (जि. दौसा)